UPUN010044042026

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।
जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–1865/2026

विकास कुमार उम्र लगभग 21वर्ष पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम लउवासिंहनखेड़ा, हिलौली, थाना मौरावां, जिला उन्नाव।

————————अभियुक्त।

प्रति

राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उन्नाव।

————————अभियोगी।

20.07.2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र अभियुक्त विकास कुमार की ओर से अपराध संख्या–132/2026, अर्न्तगत धारा–109(1),115(2),333,352बी0एन0एस0, थाना–मौरावां, जिला उन्नाव के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार मे निरूद्ध है।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 17.04.2026 को दिन 05.00बजे वादी अजेन्द्र सिंह के पिता भोला सिंह अपनी कार से जा रहे थे ग्राम लउवा बजार के अन्तर्गत विकास व उमेश पुरानी रंजिश को लेकर उसके पिता को गालियां देने लगे, विरोध करने पर उन्हे दौड़ाया, उसके पिताजी गुलौली चौराहे पर अपने दुकान मे आ गए कुछ देर बाद विकास व उमेश व दो अज्ञात लोग दुकान के अंदर घुसकर उसके पिता को लाठी डण्डो व धारदार हथियार से जान से मारने की नियत से मारने पीटने लगे, जब गांव के लोग दौड़े तो जान से मारने की धमकी दे कर भाग गए।

अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया कि वह निर्दोष है, उसे रंजिशन गांव की पार्टीबन्दी के कारण झूठा फसाया गया है। उसने कोई घटना कारित नही की। भोला सिंह को नशे की हालत में कार एक्सीडेन्ट मे कार पलट जाने से 04 साधारण चोटें आयी। भोला सिंह द्वारा राजनैतिक रसूख के चलते प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नही है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नही है। सहअभियुक्त की जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। वह दिनांक 16.07.2026 से जिला कारागार मे निरूद्ध है। उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थना है। इसके पूर्व उसने कोई जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय में नही दिया है न ही विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है। उक्त आधार पर जमानत प्रदान किये जाने जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रो का अवलोकन किया।

अभियोजन का तर्क है कि अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी के पिता को लाठी डण्डे व धारदार हथियार से मारपीट कर गंभीर चोटें पहुॅचाई गयी।

अभियुक्त का तर्क है उसने कोई मारपीट नही की, उसे रंजिशन झूठा फसाया गया है। केस डायरी के अवलोकन से विदित है कि घटना दिनांक 17.04.2026 समय 17.00बजे के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दिनांक 18.04.2026 को 10.45जे दर्ज करायी गयी है। घटना का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी होना नही बताया गया है। चोटहिल भोला सिंह का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 17.04.2026 समय 06.50पी.एम. से 19.04.2026 समय 12.00 ए.एम. 14.22 तक संजीवन हास्पिटल लखनऊ में चिकित्सक अंकित शुक्ला द्वारा किया गया। डा0 अमन रिजवी सी0एच0सी0 मौरावां द्वारा बयान दिया गयाकि दिनांक 20.04.2026 को समय 10.15ए0एम0 पर चोटहिल भोला सिंह का चिकित्सीय परीक्षण

Digitally signed by ANIL KUMAR VERMA
Date: 2026.07.20 16:32:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

किया गया। उसके शरीर पर कुल चार चोटें पायी गयी, जिनमें चोट नं0–1 नांक की जड़ पर घाव है, जिस पर पांच टांका लगा हुआ है। 2. नाक के ऊपर सूजन नीलगू निशान। 3. बांयी ऑख के नीचे छिला हुआ चोट नीलगू निशान। 4. दाहिनी ऑख के नीचे चोट सूजन नीलगू निशान। उक्त चोटें तीन दिन पुरानी थी। उक्त चोटों के एक्स–रे मे कोई फैक्चर होना नही पाया गया। सभी चोटें कठोर व कुन्द से पहुॅचायी गयी है। जो गंभीर प्रकृति की है। डा0वी0के0 गुप्ता द्वारा दिनांक 21.04.2026 को चोटहिल भोला सिंह का एक्स–रे किया गया जिसमें सिर व माथे पर कोई फैक्चर नही पाया गया। चिकित्सक द्वारा चोटहिल की चोटें प्राणघातक होने के संबंध में कोई राय उल्लिखित नही की गयी है। संबंधित थाने द्वारा अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही प्रस्तुत किया गया। सहअभियुक्त उमेश की जमानत न्यायालय द्वारा दिनांक 20.06.2026 को स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त दिनांक 16.07.2026 से जिला कारागार मे निरूद्ध है।

अतः मामले के उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर टीका–टिप्पणी किये बगैर अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पाया जाता है। तद्नुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त विकास कुमार द्वारा अपराध संख्या–132/2026, अर्न्तगत धारा–109(1),115(2), 333,352 बी0एन0एस0, थाना–मौरावां, जिला उन्नाव के मामले मे प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1865/2026 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0–50,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाए।

दिनांक–20.07.2026
राकेश/–

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
जे0ओ0कोड0नं0–यू0पी0–6552
सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।